न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 19/2025

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री दशरथ सिंह (विक्रेता), मैसर्स सुरेन्द्र डेयरी, एफ–08, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, गेगल, अजमेर।
2. श्री हितेश राजपुरोहित पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह (प्रोपराईटर), मैसर्स सुरेन्द्र डेयरी, एफ–08, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, गेगल, अजमेर।
3. मैसर्स सुरेन्द्र डेयरी, एफ–08, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, गेगल, अजमेर। ....*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II)एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी संख्या 2श्री हितेश राजपुरोहित

–: आदेश :– दिनांक–27.08.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी नेअवमानक (सब स्टेण्डर्ड) घी (एस डी बंधन ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II)का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, मौका फर्द, प्रपत्र 5ए, कैश मीमो, प्रपत्र 6 की जमा करवाने की प्रति, विक्रेता को दिया गया नोटिस, जाँच रिपोर्ट, विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दस्स्तावेज, अभियोजन स्वीकृति बाबत पत्र, अभियोजन स्वीकृत पत्र की प्रतियाँ संलग्न कर प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 10.12.2024 को 04:00पीएम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स सुरेन्द्र डेयरी, एफ–06, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, गेगल, अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री सुरेन्द्र सिंह मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से वर्ष 2024 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो उसके पास मौके पर उपलब्ध था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय घी (एस डी बंधन ब्राण्ड) के 160 पैकेट (500 मिली) आम जनता कों विक्रय हेतु रखा हुआ मिला। उक्त घी

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

(एस डी बंधन ब्राण्ड) में मिलावटका शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 500मिली के 04 पैकेट 1200/– रूपयें श्री सुरेन्द्र सिंह को नगद देकर गवाह श्री सुशील कुमार चोटवानी के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री सुरेन्द्र सिंह को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा घी (एस डी बंधन ब्राण्ड)को विक्रेता के सामने लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारीअजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए–4658चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/597दिनांक 24.01.2025 के संलग्न प्राप्त खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/1380/एक्ट/2024/17 दिंनांक 09.01.2025के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया घी (एस डी बंधन ब्राण्ड)अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। विक्रेता द्वारा द्वितीय जाँच हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत नही किया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 20.05.2025 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 20.05.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी को अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी सं 2 श्री हितेश राजपुरोहित ने उपस्थित होकर लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया एवं बहस का निवेदन किया। उनकी बहस सुनी गयी। अप्रार्थी ने निवेदन किया कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट में उनके संस्थान से लिये गये घी (एस डी बंधन ब्राण्ड) को अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) बताया गया है, परन्तु उक्त घी के नमूने की जाँच उनके द्वारा उनकी फैक्ट्री की प्रयोगशाला एवं नई दिल्ली सिथत मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला "बंसल फूड लेबोरेटरी" में भी करायी गयी जिसमें सेम्पल सही पाया गया है। उन्होने यह भी कथन किया कि आगे जाँच हेतु नियमानुसार राशि का डीडी भी जमा करवा दिया गया था, परन्तु अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होने यह भी निवेदन किया कि वे एक साधारण व्यवसायी है अतः न्यूनतम/कम से कम जुर्माना लगाया जावे।

हमने लिखित प्रत्युत्तर, पत्रावली एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद का अवलोकन किया एवं बहस में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद के संलग्न जाँच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया घी (एस डी बंधन ब्राण्ड) में मिल्क फैट के अतिरिक्त अन्य बाहरी फैट भी सम्मिलित है जो कि खाद्य सुरक्षा मानक (प्रोहिबिशन एण्ड रेस्ट्रिकेशन ऑन सेल्स) मानक 2011 के मानक बिन्दु 2.3.7(2) के विपरीत होने से उक्त घी (एस डी बंधन ब्राण्ड)अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है। जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।अप्रार्थी द्वारा एक अन्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी है परन्तु उक्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि घी (एस डी बंधन ब्राण्ड) सब स्टेण्डर्ड है या नहीं। यह भी स्पष्ट है कि अभिहित अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 24.01.2025 से अप्रार्थी को सूचित किया था कि यदि वे प्रथम जाँच रिपोर्ट से

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

संतुष्ट नहीं है तो पुनः जाँच हेतु पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीतर इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करे। परन्तु अप्रार्थी द्वारा पुनः जाँच किये जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत करने का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है अपितु उनके बैंक खाते (शाखा केनरा बैंक, गेगल) का स्टेटमेन्ट प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार दिनांक 01.08.2025 को द्वितीय अपील हेतु डीडी जारी किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा निर्धारित 30 दिन की समयावधि के पश्चात अत्याधिक विलम्ब से द्वितीय अपील हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्यपदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपराध कारित किया है, अतः अप्रार्थी को न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। उपरोक्त प्रावधान को मद्वेनजर रखते हुए अप्रार्थीगणको जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर रु.कुल **20,000/– (बीसहजार)** शास्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थीउपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नामई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 27.08.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/4764-4769 दिनांक : 26/09/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर।
4. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री दशरथ सिंह (विक्रेता), मैसर्स सुरेन्द्र डेयरी, एफ–08, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, गेगल, अजमेर।
5. श्री हितेश राजपुरोहित पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह (प्रोपराईटर), मैसर्स सुरेन्द्र डेयरी, एफ–08, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, गेगल, अजमेर।
6. मैसर्स सुरेन्द्र डेयरी, एफ–08, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, गेगल, अजमेर।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर